

(जन्म-मृत्यु की घटना का "दो वर्ष के बाद" पंजीयन करवाने बाबत आज्ञा पत्र आवेदन)

सेवा में,

श्रीमान् न्यायिक मजिस्ट्रेट,

.....

विषय :- जन्म/मृत्यु पंजीयन हेतु आज्ञा पत्र जारी करवाने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी.....
ग्रामतहसील, जिला का/की निवासी हूँ। मुझे मेरे
(संबंध) के जन्म/मृत्यु पंजीयन हेतु आज्ञा पत्र की आवश्यकता है। मेरे (संबंध) का नाम
..... पिता का नाम है, जिनकी जन्म/मृत्यु दिनांक
है तथा घटना ग्राम तहसील, जिलामें ही घटित हुई है।

अतः महोदय के समक्ष सभी वांछित दस्तावेज पेश कर निवेदन है कि जन्म /मृत्यु की घटना
के पंजीयन हेतु आज्ञा पत्र जारी करने का श्रम करावें।

- सलग्न – 1. सांख्यिकी विभाग द्वारा निर्धारित आज्ञा-पत्र प्रपत्र 2 प्रति (पाई पेपर पर)
2. रजिस्ट्रार का अनुपलब्धता प्रमाण-पत्र (प्रारूप संख्या-10 मय पाई पेपर)
3. विलंबित इत्तिला के संबंध में स्वप्रमाणित घोषणा पत्र (प्रारूप संख्या-14 मय पाई पेपर)
4. दो उत्तरदायी व्यक्तियों द्वारा घटना का सत्यापन (मय पहचान संबंधित दस्तावेज)
5. आधार, जन आधार व अन्य आवश्यक दस्तावेज

दिनांक :-

भवदीय/भवदीया

नाम –.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

ग्राम –.....ग्राम पंचायत

तहसील –, जिला–

मोबाइल नम्बर

(दो वर्ष के बाद जन्म की सूचना देने पर)

शपथ पत्र (जन्म)

शपथ
ग्रहता/ग्रहिता
की हस्ताक्षरयुक्त
पासपोर्ट साईज
फोटो

- मैं (आवेदक का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
वर्तमान आयु वर्ष निवासी (वर्तमान पूर्ण पता)
(लड़का/लड़की/उभयलिंगी से सम्बन्ध लिखें) शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि :-
- यह कि श्रीमती (माता का नाम) ने एक जीवित लड़का/लड़की/उभयलिंगी जिसका नाम लिंग जन्म तिथि/...../..... जन्म स्थान का पूर्ण पता जन्म स्थान का वार्ड नं , पिता का नाम बच्चे के जन्म के समय माता/पिता का पता , माता/पिता का स्थाई पता को शहर/गाँव में जन्म दिया है।
 - यह कि लड़का/लड़की/उभयलिंगी के आवश्यकतानुसार नाम व जन्म दिनांक के दस्तावेज और माता-पिता व मेरे नाम व पते के दस्तावेज संलग्न कर रहा/रही हूँ।
 - यह कि शपथ पत्र पर मेरी वर्तमान फोटो चस्पा कर दी गई है।
 - इस बच्चे का जन्म अस्पताल में नहीं हुआ था, मेरे घर पर ही हुआ था।
 - यह कि उक्त जन्म का पंजीयन आज दिनांक/...../..... से पहले किसी के भी द्वारा एवं मैंने कहीं भी किसी भी रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) के पास दर्ज नहीं करवाया है और जन्म का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, ना ही भविष्य में कहीं दर्ज करवाऊँगा/करवाऊँगी।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता या अंगूठा निशान

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहता/ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि शपथ पत्र में अंकित सभी तथ्य सही व सत्य हैं। मेरे द्वारा दिये गये शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की असत्यता नहीं है। अगर भविष्य में असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। ईश्वर साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता या अंगूठा निशान

आदेश पत्र

उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के विवरण एवं दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त हल्फनामा मेरे समक्ष लिया गया है। जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969, (संशोधित) अधिनियम, 2026 की धारा 13(3)अ एवं राजस्थान जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000, (संशोधित) नियम, 2025 के नियम 9(3) के अन्तर्गत घटना की शुद्धता का सत्यापन कर स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को यह आदेशित किया जाता है कि उक्त जन्म के विहित विलम्ब शुल्क रुपये 100/- लेकर रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज कर लिया जावें।

मेरे हस्ताक्षर व मोहर से आज दिनांक/...../..... को जारी किया गया।

हस्ताक्षर न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)

(दो वर्ष के बाद मृत्यु की सूचना देने पर)

शपथ पत्र (मृत्यु)

शपथ
ग्रहता/ग्रहिता
की हस्ताक्षरयुक्त
पासपोर्ट साईज
फोटो

- मैं (आवेदक का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
वर्तमान आयु वर्ष निवासी (वर्तमान पूर्ण पता)
..... (मृतक से सम्बन्ध लिखें) शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि :—
- यह कि मृतक का नाम मृतक का लिंग
मृत्यु तिथि / / मृतक के स्थान का पूर्ण पता
....., मृत्यु स्थान का वार्ड नं मृतक की माता का नाम
..... (मृतक के पिता/पत्नी का नाम) मृतक का मृत्यु
के समय का पता
मृतक का स्थाई पता की
मृत्यु शहर/गाँव में हो गई हैं।
 - यह कि मृतक व मृतक के माता-पिता एवं मेरे नाम व पते के दस्तावेज संलग्न कर रहा/रही हूँ।
 - यह कि शपथ पत्र पर मेरी वर्तमान फोटो चस्पा कर दी गई है।
 - यह कि उक्त मृत्यु का पंजीयन आज दिनांक / / से पहले किसी के भी द्वारा एवं मैंने कहीं भी किसी भी रजिस्ट्रार/उपरजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) के पास दर्ज नहीं करवाया है और मृत्यु का प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है, ना ही भविष्य में कहीं दर्ज करवाऊँगा/करवाऊँगी।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता या अंगूठा निशान

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहता/ग्रहिता सत्यापित करता/करती हूँ कि शपथ पत्र में अंकित सभी तथ्य सही व सत्य हैं। मेरे द्वारा दिये गये शपथ पत्र में किसी भी प्रकार की असत्यता नहीं है। अगर भविष्य में असत्यता पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। ईश्वर साक्षी है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहता/ग्रहिता या अंगूठा निशान

आदेश पत्र

उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा दिये गये शपथ पत्र के विवरण एवं दस्तावेजों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त हल्फनामा मेरे समक्ष लिया गया है। जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969, (संशोधित) अधिनियम, 2026 की धारा 13(2)अ एवं राजस्थान जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियम, 2000, (संशोधित) नियम, 2025 के नियम 9(2) के अन्तर्गत घटना की शुद्धता का सत्यापन कर स्थानीय रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को यह आदेशित किया जाता है कि उक्त मृत्यु के विहित विलम्ब शुल्क रुपये 100/- लेकर रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार द्वारा दर्ज कर लिया जावें।

मेरे हस्ताक्षर व मोहर से आज दिनांक / / को जारी किया गया।

हस्ताक्षर न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी)

सत्यापन — 1

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी
..... ग्राम पंचायत तहसील , जिला जयपुर
मे राजकीय विभाग में के पद पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक
बयान करता/करती हूँ कि —

1. प्रार्थी/प्रार्थीया/श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी
निवासी तहसील , जिला जयपुर को मैं भली भांति
जानता/जानती हूँ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया के पुत्र/पुत्री/माता/पिता/ (संबंध) के जन्म/मृत्यु की घटना
ग्राम ग्राम पंचायत तहसील , जिला जयपुर
में दिनांक को घटित हुई है।

दिनांक :—

(हस्ताक्षर मय मोहर प्रथम उत्तरदायी व्यक्ति)

मोबाइल न.—

सत्यापन — 2

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री निवासी
..... ग्राम पंचायत तहसील , जिला जयपुर राजकीय सेवा
..... में के पद पर कार्यरत हूँ एवं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ
कि —

1. प्रार्थी/प्रार्थीया/श्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी
निवासी तहसील , जिला जयपुर को मैं भली भांति
जानता/जानती हूँ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया के पुत्र/पुत्री/माता/पिता/ (संबंध) के जन्म/मृत्यु की घटना
ग्राम ग्राम पंचायत तहसील , जिला जयपुर
में दिनांक को घटित हुई है।

दिनांक :—

(हस्ताक्षर मय मोहर द्वितीय उत्तरदायी व्यक्ति)

मोबाइल न.—

(उत्तरदायी व्यक्ति — संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य, राजपत्रित अधिकारी, जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, बीट प्रभारी (पुलिस), महापौर, नगरपालिका/नगरपरिषद अध्यक्ष, नगर निगम सदस्य व अराजपत्रित कर्मचारी)

प्रारूप संख्या 14

(नियम 9 देखिए)

(जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं (संशोधित) अधिनियम, 2023 की धारा 13(3) के अधीन जन्म/मृत्यु की विलंबित इत्तिला देने के लिए स्वप्रमाणित दस्तावेज का रूपविधान)

घोषणा

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री

निवासी.....इसके द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि :-

1. मैं..... (शिशु/मृतक का नाम).....पुत्र/पुत्री/
पत्नी/पति की जन्म/मृत्यु की विलंबित सूचना का इत्तिला देने वाला/वाली हूँ।
2. उसका/उसकी जन्म/मृत्यु दिनांकको
(जन्म/मृत्यु का स्थान) पर हुआ/हुई है।
3. उसके/उसकी जन्म/मृत्यु की घटना के समयउपस्थित थे,
जिनका निवास.....है।
4. उसके/उसकी जन्म/मृत्यु की विलंबित इत्तिला के कारण.....
5. उसके/उसकी जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र की आवश्यकता का उद्देश्य

घोषणा:- मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त इत्तिला सही है और मैंने उपर्युक्त घटना की इत्तिला किसी रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को नहीं दी है और मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार इस संबंध में कोई जन्म/मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है।

दिनांक :-

इत्तिला देने वाले के हस्ताक्षर या बाएं हाथ का अंगुठा निशानी

प्रारूप संख्या 10

(नियम 13 देखिए)

(जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं (संशोधित) अधिनियम, 2023 की धारा 17 के अधीन जारी)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री.....के अनुरोध पर(स्थानीय क्षेत्र).....(उपजिला/तहसील).....(जिला).....
(राज्य).....के वर्ष (वर्षों).....से संबंधित रजिस्ट्रीकरण अभिलेखों की तलाशी ली गयी और यह पाया गया कि.....पुत्र/पुत्री.....के जन्म/मृत्यु से संबंधित घटना का रजिस्ट्रीकरण नहीं हुआ है।

दिनांक :-

जारी करने वाले प्राधिकारी/रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर व मुहर

जन्म-मृत्यु की घटना के सत्यापन हेतु ANM और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा सत्यापन
(जाँच रिपोर्ट)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री.....के जन्म/मृत्यु की घटना दिनांक.....
को.....(घटना का स्थान).....(तहसील) जिला जयपुर में घटित
हुई है।

दिनांक :-

जारी करने वाले प्राधिकारी / ANM / आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर व मुहर